न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 421/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

राकेश पुत्र भूपराम जाति छिम्पा निवासी 4 सी.वाई.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0।

–वादी

बनाम

1. तहसीलदार(राजस्व) रावतसर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0।

–असल प्रतिवादी

2. शकुन्तला पुत्री भूपराम जाति छिम्पा निवासी 4 सी.वाई.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0।
3. विधा देवी पत्नि भूपराम जाति छिम्पा निवासी 4 सी.वाई.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0।
4. स्वीटी पुत्री भूपराम जाति छिम्पा निवासी 4 सी.वाई.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0।
5. पूजा पुत्री भूपराम जाति छिम्पा निवासी 4 सी.वाई.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0।
6. इन्दुबाला पुत्री भूपराम जाति छिम्पा निवासी 4 सी.वाई.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0।

– तरतीबी पक्षकार

उपस्थितः– श्री विनोदकुमार स्वामी वकील–वादी
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 1
श्री विनोद कुमार राहड़ वकील प्रतिवादी सं. 2 ता 4

निर्णय दिनांक– 17.01.2025

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वादी द्वारा दिनांक 28.08.2024 को विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के जरिये वकील पेश किया गया कि वादी के दादा रामप्रताप के नाम तहसील रावतसर के चक नम्बर 4 सी.वाई. एम. के पत्थर नम्बर 210/56(31) के किला नम्बर 11/2, 12 ता 14, 15/1, 15/2 व पत्थर नम्बर 210/64(30) किला नम्बर 13 ता 15, 16/3 इस प्रकार कुल 2.0830 हैक्टेयर कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी जो बाद फौतगी वादी के पिता भूपराम एवं उसके भाईयों के नाम दर्ज होनी थी लेकिन वादी के पिता भूपराम का स्वर्गवास, मेरे दादा रामप्रताप के स्वर्गवास से पूर्व ही फौत हो गये थे। इसलिए उक्त कृषि भूमि सीधे स्वर्गीय भूपराम के वारिसान विधादेवी पत्नी, राकेश पुत्र, शकुन्तला, पूजा, इन्दूबाला, स्वीटी पुत्रीयों के नाम दर्ज होनी थी। लेकिन इन्तकाल दर्ज करते समय सहबन से पूजा व इन्दूबाला का नाम अंकन होने से रह गया। दावा की मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि स्वर्गीय भूपराम के हिस्सा की कृषि भूमि उसके विधिक वारिसान विधादेवी पत्नी, राकेश पुत्र, शकुन्तला, पूजा, इन्दूबाला, स्वीटी पुत्रीयों के नाम दर्ज होनी थी लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करते समय सहबन से शकुन्तला का नाम कान्ता व स्वीटी का नाम सिटू दर्ज हो गया तथा पूजा व इन्दुबाला का नाम दर्ज होने से रह गया। जिस कारण वर्तमान में उक्त कृषि भूमि वादी एवं तरतीबी पक्षकार विधादेवी, कान्ताबाला, सिटू के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही हैं। जिसे दूरूस्त करवाकर स्वर्गीय भूपराम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.01.23 12:57:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

सभी वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज करवाने का वादी अधिकारी हैं। फोटो प्रति मृत्यू प्रमाण पत्र भूपराम, वारिसनामा संलग्न दावा हैं। यही वाद कारण हैं। कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से दर्ज रहने से स्वर्गीय भूपराम के विधिक वारिसान के विधिक अधिकारों का हनन हो रहा हैं तथा गलत नाम अंकन रहने से तरतीबी पक्षकार शकुन्तलादेवी व स्वीटी का कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा हैं। तरतीबी पक्षकार शकुन्तला व स्वीटी सही नाम हैं तथा इसी नाम से उनके परिचय पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज बने हुए हैं। लेकिन वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकोर्ड में उनका नाम कान्ताबाला व सिटू गलत दर्ज हैं। जिसे वादी दूरूस्त करवाकर शकुन्तला व स्वीटी दर्ज करवा पाने का अधिकारी हैं। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज तरतीबी पक्षकार शकुन्तला व स्वीटी के गलत नाम के अंकन को दुरूस्त करने व उसके स्थान पर सही नाम अंकन दर्ज करने व स्वर्गीय भूपराम के विधिक वारिस पूजा, इन्दुबाला का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा करने से दिनांक 21.08.2024 को इंन्कार कर दिया। यही आधार वाद हैं। वकील वादी ने अपने दावा के साथ दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज जमाबन्दी 4 सीवाईएम बहक अनिलकुमार वगैरह, फोटोप्रति परिवार राशनकार्ड, सदस्य तस्दीक प्रमाण पत्र, आधारकार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक पेश किये।

वाद वादी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 17.09.2024 को प्रतिवादी सं. 2 ता 4 ने जरिये वकील श्री विनोद राहड़ उपस्थित आकर ईकबाल दावा पेश किये। राजपेरोकार ने राज्य पक्ष में जबाब पेश किया। अपने जबाब में राजपेरोकार ने वादी के दावा की मद सं. 1 को सबंधित नहीं होना, मद सं. 2 को रिकार्डेड, मद सं. 3 ता 9 को सिद्ध करने का भार, मद सं. 10, 11 को कानूनी होना बताते हुए जबाब के अन्त में राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए निर्णय किया जाना उचित होना बताया। प्रतिवादी सं. 5, 6 बावजुद विधिवत रजिस्टर्ड सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई।

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। दूसरी तरफ राजपेरोकार ने अपनी बहस में जबाब के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि वाद भूमि वादी के पिता भूपराम के नाम की खातेदारी भूमि थी भूपराम के फौत होने पर वाद भूमि को विरासतन दर्ज करते स[illegible] वादी सं. 5, 6 का नाम दर्ज नहीं हो पाया। जिसे वादी दुरूस्त [illegible] का नाम दर्ज करवाना चाहता है। अतः वाद वादी डिकी [illegible] कि चक नम्बर 4 सी.वाई.एम. के पत्थर नम्बर 210/56(31) के किला नम्बर 11/[illegible] 12 ता 14, 15/1, 15/2 व पत्थर नम्बर 210/64(30) किला नम्बर 13 ता 15, 16/3 इस प्रकार कुल 2.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.01.23 12:57:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

0830 हैक्टेयर कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि में से स्वर्गीय भूपराम पुत्र रामप्रताप के हिस्सा की 0.3480 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी एवं तरतीबी पक्षकार 2 ता 6 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 2 का नाम कान्ताबाला के स्थान पर शकुन्तला पुत्र भूपराम व प्रतिवादी सं. 4 का नाम सिटू के स्थान पर स्वीटी पुत्र भूपराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास आज दिनांक 17.01.2025 को सुनाया गया।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.01.23 12:57:44 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 421/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट
राकेश पुत्र भूपराम जाति छिम्पा निवासी 4 सी.वाई.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0।

–वादी

बनाम

1. तहसीलदार(राजस्व) रावतसर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0।

–असल प्रतिवादी

2. शकुन्तला पुत्री भूपराम जाति छिम्पा निवासी 4 सी.वाई.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0।
3. विधा देवी पत्नि भूपराम जाति छिम्पा निवासी 4 सी.वाई.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0।
4. स्वीटी पुत्री भूपराम जाति छिम्पा निवासी 4 सी.वाई.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0।
5. पूजा पुत्रीं भूपराम जाति छिम्पा निवासी 4 सी.वाई.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0।
6. इन्दुबाला पुत्री भूपराम जाति छिम्पा निवासी 4 सी.वाई.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0।

– तरतीबी पक्षकार

उपस्थितः– श्री विनोदकुमार स्वामी वकील–वादी
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 1
श्री विनोद कुमार राहड़ वकील प्रतिवादी सं. 2 ता 4

निर्णय दिनांक– 17.01.2025

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष वकील उपरोक्त अभिभाषकगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक नम्बर 4 सी.वाई.एम. के पत्थर नम्बर 210/56(31) के किला नम्बर 11/2, 12 ता 14, 15/1, 15/2 व पत्थर नम्बर 210/64(30) किला नम्बर 13 ता 15, 16/3 इस प्रकार कुल 2.0830 हैक्टेयर कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि में से स्वर्गीय भूपराम पुत्र रामप्रताप के हिस्सा की 0.3480 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी एवं तरतीबी पक्षकार 2 ता 6 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 2 का नाम कान्ताबाला के स्थान पर शकुन्तला पुत्र भूपराम व प्रतिवादी सं. 4 का नाम सिटू के स्थान पर स्वीटी पुत्र भूपराम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिकी हमारे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 17.01.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.01.23 12:57:44 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर